मे अन्तिम अवसर दिया गया

29/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनु.। वादी का वाद 09R3 पत्रावली मे स्थगित किया जा चुका है। इसमे अब T.I प्रपत्र का वाद औचित्य शेष नहीं रह जाता है इसलिए T.I प्रपत्र स्थगित किया जाता है। पत्रावली चेम्बर सुबह होकर 5 नम्बर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
पाँचवा लोक